UPBJ240019262020

न्यायालय सिविल जज जू.डि. नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।
मूलवाद सं0 253/2020
राजीव बनाम मामराज सिंह

दिनांक 05.03.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये।

पत्रावली आज वास्ते विरचन वाद बिन्दु नियत है।

पक्षकारों द्वारा किसी भी सुलह–समझौता से इन्कार किया गया।

अतः पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर प्रस्तुत वाद में निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं :–

1. क्या वादपत्र में वर्णित अभिवचनों के आधार पर इकरारनामा दि0 12.07.2019 इकरारी वादी बहक प्रतिवादी जिसका पंजीकरण बही नं01, जिल्द नं0 9450 के पृष्ठ सं0 307/328 नंबर 8328 पर दि0 12.07.2019 को हुआ है, खण्डित किए जाने योग्य है ? यदि हॉ तो प्रभाव ?
2. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?
3. क्या वादी द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
4. क्या वाद वादी धारा 10 व्य0प्र0सं0 के प्राविधानों से बाधित है ?
5. क्या वाद वादी आदेश–7, नियम–11 व्य0प्र0सं0 के प्राविधानों से बाधित है ?
6. क्या वादी किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किसी अन्य वाद बिन्दु के विरचन पर बल नहीं दिया गया और न ही पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर अन्य कोई वाद बिन्दु बनता है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं02 व 3 दिनांक 06.04.2022 को पेश हो।

(अखिल कुमार निझावन)
सिविल जज (जू0.डि.)
नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।
यू.पी. 03212